संख्या-364 **/2024/3218 / चार-2024-1522113**

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभागः **लखनऊः दिनांक** 23 **अक्टूबर, 2024**

विषयः-वेतन समिति (2016) के प्रथम प्रतिवेदन भाग-6 में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, लखनऊ में दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1646/सं0नि0-18(सातवां वेतनमान)/2021-22 दिनांक 11.10.2021 व निदेशक, अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, लखनऊ के पत्र संख्या-21/सा0वेतन आयोग/2023-24, दिनांक 22 नवम्बर, 2023 के अनुक्रम में अवगत कराना है कि उ0प्र0 की स्वशासी संस्थओं के संबंध में वेतन समिति (2016) के प्रथम प्रतिवेदन भाग-6 में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त कतिपय संशोधन के साथ वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के संकल्प संख्या-64/2016-वे0आ0-2-2645/दस-04(एम)/2016, दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 के माध्यम से स्वीकार कर लिया गया है।

2. अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, लखनऊ के कार्मिकों को संलग्नक-1 की तालिका के अनुसार पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स दिनांक 01 जनवरी, 2016 से अथवा सम्बन्धित कार्मिक के विकल्प की तिथि को प्राप्त हो रहे वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के आधार पर अनुमन्य किया जायेगा।

3. पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में सम्बन्धित कार्मिक का वेतन निर्धारण एवं वेतन वृद्धियां वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-67/2016/वे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016 दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 एवं इस क्रम में निर्गत अन्य शासनादेशों में वर्णित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा। पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स अपनाये जाने हेतु विकल्प का प्रारूप एवं वचनबंध का प्रारूप संलग्नक-2 व 3 पर संलग्न है।

4. अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, लखनऊ के कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण एवं महंगाई भत्ते का नगद भुगतान शासनादेश निर्गत होने की तिथि से किया जायेगा एवं दिनांक 01 जनवरी, 2016 से शासनादेश निर्गत होने की तिथि तक देय अवशेष का भुगतान राज्य कर्मचारियों के संबंध में लिये गये निर्णय के अनुसार किया जायेगा।

5. अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, लखनऊ में यदि कोई कार्मिक प्रतिनियुक्ति पर तैनात है तो उसे पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स एवं अन्य भत्ते अपने मूल विभाग/अधिष्ठान के पद के संदर्भ में अनुमन्य होंगे।

6. अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, लखनऊ के कार्मिकों को यदि राजकीय कार्मिकों से इतर कोई सुविधा अनुमन्य है तो उसका पुनरीक्षण राज्य सरकार की सहमति से ही किया जायेगा।

7. अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, लखनऊ के कार्मिकों के लिये वर्तमान में लागू ए0सी0पी0 की व्यवस्था को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में इस प्रतिबन्ध के अधीन बनाये रखा जायेगा कि इसकी अनुमन्यता हेतु संतोषजनक सेवाओं के परीक्षण का वही मानक होगा, जैसा कि राज्य कर्मचारियों के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

लिए अपनाया जाय। पदोन्नति/ए0सी0पी0 प्राप्त होने पर वेतन निर्धारण वित्त(वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-67/2016/वे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016 दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 एवं शासनादेश संख्या-2/2018/वे0आ0-2-78/दस-2018-04(एम)/2016, दिनांक 31 जनवरी, 2018 की व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

8. अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, लखनऊ के कार्मिकों के कार्यकुशल एवं अच्छे कर्मचारियों के मनोबल को प्रोत्साहित करने तथा ऐसे कार्मिक, जो अपने दायित्वों के निर्वहन में पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी रूचि नहीं लेते हैं, उनकी इस मानसिकता को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से ऐसे कार्मिकों को, जो प्रथम 16 वर्ष की सेवा पूर्ण करने तक ए0सी0पी0 अथवा नियमित पदोन्नति के निर्धारित मापदण्ड को पूरा नहीं करते है, उन्हें आगे वार्षिक वेतनवृद्धियॉ स्वीकृत करने के सम्बन्ध में राज्य कर्मचारियों की भॉति व्यवस्था की जाय।

9. अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, लखनऊ के ऐसे पेंशनर जिन्हें पेंशन की सुविधा पूर्व से राजकीय विभागों के सादृश्य पर अनुमन्य हैं, की पेंशन पुनरीक्षण की वही प्रक्रिया अपनायी जाय, जो राजकीय पेंशनरों के संबंध में अपनायी गयी है। साथ ही अन्य ऐसे सेवा-नैवृत्तिक लाभों, जो पूर्व से राजकीय विभागों के सादृश्य पर अनुमन्य है, का पुनरीक्षण भी राजकीय विभागों के पेंशनरों हेतु अपनायी गयी प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

10. अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, लखनऊ के ऐसे कार्मिक, जिन्हें राजकीय कर्मियों की भांति पेंशन सुविधा देय नहीं है, उनके मामले में राज्य सरकार द्वारा लागू की गयी नयी पेंशन नीति के सादृश्यता पर अथवा अन्यथा कोई व्यवस्था लागू किये जाने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

11. इस शासनादेश के निर्गत होने के दिनांक से अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, लखनऊ में पदों पर भर्ती, पदों का सृजन तथा अस्थायी कर्मचारियों का स्थायीकरण पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में ही किया जायेगा।

12. अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, लखनऊ में दिनांक 01.01.2016 से सातवें वेतनमान की पुनरीक्षित वेतन संरचना केवल उन मौलिक रूप से नियुक्त कर्मचारियों पर ही लागू की जायेगी, जो शासन द्वारा नियमित रूप से स्वीकृत एवं सृजित पदों के ही सापेक्ष निरन्तर कार्यरत रहे हों।

13. अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, लखनऊ के किसी पद के लिए सातवें वेतनमान की पुनरीक्षित वेतन संरचना में समान पदधारण करने वाले राजकीय कर्मचारियों को जो सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया है उसकी तुलना में उच्चतर वेतनमान संस्थान के कार्मिको को अनुमन्य नहीं होगा।

14. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या- वे0आ0-2-36/दस-2024 दिनांक 17 अक्टूबर, 2024 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 364 **/2024/3218(1) / चार-2024-1522113 तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (प्रथम) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), उ0प्र0 प्रयागराज।
3. निदेशक, पेंशन निदेशालय, इंदिरा भवन, लखनऊ।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/ वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
7. निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. वित्त नियंत्रयक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
9. निदेशक, अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, लखनऊ।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक-1

पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स

न बैण्ड	5200-20200					9300-34800			
वेतन	1800	1900	2000	2400	2800	4200	4600	4800	5400
लेवल	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	18000	19900	21700	25500	29200	35400	44900	47600	53100
2	18500	20500	22400	26300	30100	36500	46200	49000	54700
3	19100	21100	23100	27100	31000	37600	47600	50500	56300
4	19700	21700	23800	27900	31900	38700	49000	52000	58000
5	20300	22400	24500	28700	32900	39900	50500	53600	59700
6	20900	23100	25200	29600	33900	41100	52000	55200	61500
7	21500	23800	26000	30500	34900	42300	53600	56900	63300
8	22100	24500	26800	31400	35900	43600	55200	58600	65200
9	22800	25200	27600	32300	37000	44900	56900	60400	67200
10	23500	26000	28400	33300	38100	46200	58600	62200	69200
11	24200	26800	29300	34300	39200	47600	60400	64100	71300
12	24900	27600	30200	35300	40400	49000	62200	66000	73400
13	25600	28400	31100	36400	41600	50500	64100	68000	75600
14	26400	29300	32000	37500	42800	52000	66000	70000	77900
15	27200	30200	33000	38600	44100	53600	68000	72100	80200
16	28000	31100	34000	39800	45400	55200	70000	74300	82600
17	28800	32000	35000	41000	46800	56900	72100	76500	85100
18	29700	33000	36100	42200	48200	58600	74300	78800	87700
19	30600	34000	37200	43500	49600	60400	76500	81200	90300
20	31500	35000	38300	44800	51100	62200	78800	83600	93000
21	32400	36100	39400	46100	52600	64100	81200	86100	95800
22	33400	37200	40600	47500	54200	66000	83600	88700	98700
23	34400	38300	41800	48900	55800	68000	86100	91400	101700
24	35400	39400	43100	50400	57500	70000	88700	94100	104800
25	36500	40600	44400	51900	59200	72100	91400	96900	107900
26	37600	41800	45700	53500	61000	74300	94100	99800	111100
27	38700	43100	47100	55100	62800	76500	96900	102800	114400
28	39900	44400	48500	56800	64700	78800	99800	105900	117800
29	41100	45700	50000	58500	66600	81200	102800	109100	121300
30	42300	47100	51500	60300	68600	83600	105900	112400	124900
31	43600	48500	53000	62100	70700	86100	109100	115800	128600
32	44900	50000	54600	64000	72800	88700	112400	119300	132500
33	46200	51500	56200	65900	75000	91400	115800	122900	136500
34	47600	53000	57900	67900	77300	94100	119300	126600	140600
35	49000	54600	59600	69900	79600	96900	122900	130400	144800
36	50500	56200	61400	72000	82000	99800	126600	134300	149100
37	52000	57900	63200	74200	84500	102800	130400	138300	153600
38	53600	59600	65100	76400	87000	105900	134300	142400	158200
39	55200	61400	67100	78700	89600	109100	138300	146700	162900
40	56900	63200	69100	81100	92300	112400	142400	151100	167800

15600-39100			37400-67000			67000-79000	75500-80000	80000
5400	6600	7600	8700	8900	10000			
10	11	12	13	13क	14	15	16	17
56100	67700	78800	123100	131100	144200	182200	205400	225000
57800	69700	81200	126800	135000	148500	187700	211600	
59500	71800	83600	130600	139100	153000	193300	217900	
61300	74000	86100	134500	143300	157600	199100	224400	
63100	76200	88700	138500	147600	162300	205100		
65000	78500	91400	142700	152000	167200	211300		
67000	80900	94100	147000	156600	172200	217600		
69000	83300	96900	151400	161300	177400	224100		
71100	85800	99800	155900	166100	182700			
73200	88400	102800	160600	171100	188200			
75400	91100	105900	165400	176200	193800			
77700	93800	109100	170400	181500	199600			
80000	96600	112400	175500	186900	205600			
82400	99500	115800	180800	192500	211800			
84900	102500	119300	186200	198300	218200			
87400	105600	122900	191800	204200				
90000	108800	126600	197600	210300				
92700	112100	130400	203500	216600				
95500	115500	134300	209600					
98400	119000	138300	215900					
101400	122600	142400						
104400	126300	146700						
107500	130100	151100						
110700	134000	155600						
114000	138000	160300						
117400	142100	165100						
120900	146400	170100						
124500	150800	175200						
128200	155300	180500						
132000	160000	185900						
136000	164800	191500						
140100	169700	197200						
144300	174800	203100						
148600	180000	209200						
153100	185400							
157700	191000							
162400	196700							
167300	202600							
172300	208700							
177500								

संलग्नक-2

विकल्प का प्रारूप

*1. मैं, ... 01 जनवरी 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स का चयन करता हूँ/करती हूँ।

*2. मैं, ... अपने निम्न-उल्लिखित वास्तविक/स्थानापन्न पद के वेतन बैण्ड और ग्रेड वेतन में

* मेरी अगली वेतनवृद्धि की तिथि तक/मेरी पश्चातवर्ती वेतनवृद्धि की तिथि तक, जब मेरा वेतन बढ़कर ..... रूपये हो जाए/मेरे विद्यमान वेतन संरचना में वेतन आहरित करना छोड़ने/बंद करने तक/ ..... के पद पर मेरी प्रोन्नति/उन्नयन की तारीख तक बने रहने का चयन करता हूँ/करती हूँ।

विद्यमान वेतन बैण्ड और ग्रेड वेतन .....

हस्ताक्षर-.....

नाम-.....

पदनाम-.....

कार्यालय जिसमें नियुक्त हैं-.....

* जो लागू न हो, उसे काट दें।

संलग्नक-3

वचनबंध

मैं, यह वचन देता हूँ कि मेरा वेतन, वेतन निर्धारण सम्बन्धी शासनादेश में अन्तर्विष्ट उपबंधों के विपरीत रीति से निर्धारित हो जाने (त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण पर) जिसका पता बाद में लगे, की स्थिति में इस प्रकार किया गया कोई अधिक भुगतान या तो मेरे बकाया भावी भुगतानों में समायोजित करके या फिर अन्य रीति से सरकार को वापस किया जाएगा।

हस्ताक्षर-.....

नाम-.....

पदनाम-.....

doesh.up.nic.in